## महत्वपूर्ण एवं खास

### कोरोना संक्रमण को लेकर 4 मेमू स्पेशल ट्रेनें 31 मई तक रद्द रहेंगी

**बिलासपुर (आरएनएस)।** कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक द्वारा 4 मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन आगामी 31 मई तक रद्द रहेगा। यात्रियों की कमी के फलस्वरूप रायपुर-दुर्ग-डोंगरगढ़-बिलासपुर एवं छिंदवाड़ा-इतवारी के मध्य चलने वाली 4 जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 मई' 2021 तक रद्द किया गया है । परिचालन रद्द की गई मेमू स्पेशल गाड़ियों की जानकारी इस प्रकार है :- 08703/08704 रायपुर-दुर्ग-रायपुर दैनिक मेमू स्पेशल। 08705/08706 रायपुर-डोंगरगढ़-बिलासपुर दैनिक मेमू स्पेशल । 08717/08708 रायपुर-दुर्ग-रायपुर दैनिक मेमू स्पेशल। 08119/08120 इतवारी-छिंदवाड़ा-इतवारी, दैनिक पैसेंजर स्पेशल ।

### खाना बनाने के दौरान गैस सिलेण्डर हुआ ब्लास्ट,दो घायल

**रायपुर (आरएनएस)।** गैस सिलेंडर में खाना बनाने के दौरान अचानक बलास्ट हो जाने की वजह से 2 लोगों घायल हो गए। जिन्हें उचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के पंचायत कुंरा में खाना बनाने के दौरान एक घर में सिलेंडर में आग लग गई, जिससे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग इतनी तेजी से फैला कि बगल वाले मकान को भी अपने चपेट में ले लिया। सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते दो लोग घायल हो गए। घटना की सुचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। जिसके बाद फायर अग्नि शमन की चार गाड़िया मौके पर पहुंचकर आग पर काबु पाया गया। वहीं घायलों को उपचार के लिये अस्पताल भेजा गया है।

### असफल नसबंदी ऑपरेशन वाले नागरिकों को क्षति प्रतिपूर्ति राशि प्रदाय

**रायपुर (आरएनएस)।** वर्ष 2014 से 2019 तक के मध्य रायपुर जिले के 5 ऐसे नागरिकों को क्षति प्रतिपूर्ति राशि के चेक का वितरत किया गया है , जिनका नसबंदी ऑपरेशन असफल रहा । जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रभारी मीडिया गजेंद्र डोंगरे ने बताया कि रायपुर ज़िले में वर्ष 2014 से 2019 तक के मध्य 5 ऐसे हितग्राहियों थे, जिनका ्नसबंदी ऑपरेशन असफल रहा ,जिसके लिये शासन द्वारा निर्धारित तीस हजार की क्षति प्रतिपूर्ति राशि का चेक वितरित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ नसबंदी नोडल अधिकारी डॉ एस.के.सिन्हा के द्वारा क्षति प्रतिपूर्ति राशि का चेक प्रदाय किया गया है। ये नागरिक है श्रीमती सरोज साहू पत्नी अमर साहू ग्राम फलौद पोस्ट अभनपुर, श्रीमती संतोषी निषाद पत्नी राजकुमार निषाद ग्राम कुरूद (सिलयारी) विकासखंड धरसीवा, श्रीमती ललिता कुर्रे पत्नी भूपेंद्र कुर्रे ग्राम लमकेनी विकासखंड अभनपुर , श्रीमती आशा साहू पत्नी नीलम चंद साहू ग्राम थनौद विकासखंड अभनपुर और श्रीमती प्रेमीन बाई पत्नी भरत साहू ग्राम तोरला विकासखंड अभनपुर।

### तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से ट्रेलर वाहन क्षतिग्रस्त,चालक के खिलाफ अपराध दर्ज

**रायपुर (आरएनएस)।** तेज रफ्तार ट्रक की ठोकर से ट्रेलर वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की रिपोर्ट उरला थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारतमाता स्कूल के पास टाटीबंध आमानाका निवासी हरदीप सिंह 47 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 29 अप्रैल को शाम 07 बजे झाबक पेट्रोलपंप सिग्नल के पास तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेई 7052 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुये प्रार्थी के ट्रेलर वाहन को ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ धारा 279 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

# मंत्री सिंहदेव ने कांकेर और महासमुंद में वायरोलॉजी लैब का किया लोकार्पण, दो नए लैबों के साथ अब प्रदेश के 9 लैबों में आरटीपीसीआर की सुविधा

**रायपुर (आरएनएस)।** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज कांकेर और महासमुंद में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इन दोनों नए लैबों को मिलाकर अब प्रदेश के नौ शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। सिंहदेव ने आज कांकेर में 236 बिस्तरों के नए डेडीकेटेड कोविड अस्पताल का भी शुभारंभ किया। लोकार्पण कार्यक्रम में महासमुंद से संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चन्द्राकर और कांकेर से शिशुपाल शोरी जिला प्रशासन एवं मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। वहीं रायपुर से स्वास्थ्य मंत्री के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. आर.के. सिंह और गैर-संचारी रोगों के नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। एम्स रायपुर के निदेशक डॉ. नितिन एम. नागरकर और डॉ. अनुदिता भार्गव भी कार्यक्रम में ऑनलाइन मौजूद थीं।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कांकेर और महासमुंद में नवनिर्मित

वायरोलॉजी लैब का उदघाटन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना के विरूद्ध लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत के समय एक भी वायरोलॉजी लैब नहीं था। एम्स रायपुर के बाद प्रदेश के सभी छह शासकीय मेडिकल कॉलेजों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा विकसित की गई है। आज प्रदेश के दो नए मेडिकल कॉलेजों कांकेर और महासमुंद में भी वायरोलॉजी लैब की शुरूआत हो रही है। इन नई सुविधाओं से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में तेजी आएगी।

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने दोनों जिला मुख्यालयों में वायरोलॉजी लैब के लोकार्पण के दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना का काम प्रारंभ किया जा चुका है। इनके साथ ही शासन द्वारा बालोद और मुंगेली में भी वायरोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी गई है। इन सभी सुविधाओं के तैयार हो जाने के बाद प्रदेश में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा वाले शासकीय केंद्रों की संख्या 18 हो जाएगी। विभाग की कोशिश रहेगी कि ये सभी लैब जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएं।

सिंहदेव ने प्रदेश में नए वायरोलॉजी लैबों की स्थापना में एम्स रायपुर की भूमिका को रेखांकित करते हुए निदेशक डॉ. नितिन एम. नागरकर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य शासन और एम्स कोरोना नियंत्रण के साथ ही सुपेबेड़ा में किडनी रोगों से प्रभावितों के इलाज के लिए साथ-साथ काम कर रहे हैं। सिंहदेव ने कांकेर और महासमुंद में वायरोलॉजी लैब की स्थापना में सहयोग के लिए स्थानीय विधायकों शिशुपाल शोरी और विनोद सेवनलाल चन्द्राकर को भी धन्यवाद दिया।

## रेमडेसीविर इंजेक्शन की एक माह की खरीदी बिक्री का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए - कन्हैया अग्रवाल

**रायपुर (आरएनएस)।** प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ सप्लाई चैन को बेनकाब करने के लिए रेमडेसीविर की छत्तीसगढ़ में आने वाली एक महीने की खेप का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग पुलिस प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर से की है । उन्होंने कहा कालाबाजारी के लिए इंजेक्शन कहां से आया जानने के लिए रेमडेसीविर के जितने स्टॉकिस्ट हैं उनसे 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की खरीदी बिक्री का पूरा ब्यौरा ( बिल-रिसीविंग ) लेकर उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए । श्री अग्रवाल ने कहा कि जब इंजेक्शन अस्पताल से बाहर सप्लाई नहीं हो सकते तो मार्केट में ब्लैक में कैसे उपलब्ध हो रहे हैं ,अफसरों और राजनीतिक दलों के नेताओं के पास कैसे पहुंच रहे हैं ? उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग और ड्रग विभाग को जांच और कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। कौन है जो जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को इंजेक्शन उपलब्ध करा रहा है और कौन हैं जो ऐसे जघन्य कृत्य को संरक्षण दे रहा है ? ऐसे दोनों प्रकार के लोगों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ।

उन्होंने कहा कि जिस इंजेक्शन को लेकर गांव से लेकर देश की सरकार जिला से लेकर उच्चतम न्यायालय गंभीर प्रयास कर रहे हैं उस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को इंजेक्शन सप्लाई करने वाले और उनके संरक्षणकर्ताओं का 05 दिन बाद भी बेनकाब नहीं होना दुर्भाग्य जनक है ।

## गहनों की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता स्थगित करने करेंगे केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री से चर्चा

**रायपुर (आरएनएस)।** सोने के गहनों में हालमार्किंग की अनिवार्यता 1 जून 2021 से पूरे देश में लागू होने जा रही हैं, वहीं सराफा व्यावसायी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे स्थगित करने की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 20 कैरेट स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्किंग की मान्यता देने की मांग कर रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष में रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू के अनुरोध पर रायपुर सांसद सुनील व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल हॉलमार्किंग की अनिवार्यता को कोरोना काल कर स्थिति जब तक

सामान्य नहीं हो जाती तब तक स्थगित करने व 20 कैरेट स्वर्ण आभूषण को मान्यता देने के संदभ में चर्चा करने की बात कहीं। मालू ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव के कारण पूरे देश में आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पूरे देश में 1 जून से सोने के गहनों पर हालमार्किंग की अनिवार्यता लागू करने जा रही हैं। इस संदर्भ में पिछले दिनों रायपुर सराफा एसोसिएशन के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इसे स्थगित करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया हैं।

वहीं दूसरी ओर 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्किंग की मान्यता देने केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा जा चुका है क्योंकि 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की मांग ज्यादा रहती है। यह ज्वेलरी अत्यधिक मजबूत होने के साथ ही कम वजन में बन जाते हैं ई कारण पूरे देश में 70 प्रतिशत लोग 20 कैरेट ज्वेलरी में अपने और अपने परिवार के लिए गहना बनवाते हैं। इसी को देखते हुए रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने रायपुर सांसद सुनील सोनी व पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को इस संदर्भ में अवगत कराया। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए कोरोना काल की जब तक सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती तब तक हालमार्किंग की अनिवार्यता को स्थगित करने व आमजनता की मांग को देखते हुए 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी हॉलमार्किंग की मान्यता में लाने के संदर्भ में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा कर बात करने की बात सांसद सुनील सोनी व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहीं।

# कोविड संक्रमित बच्चों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

**» प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ़ कोविड-19 इन द पेडियाट्रिक ऐज ग्रुप' में दी है जानकारी**

**» कोविड संक्रमित गंभीर बच्चों में बढ़ता है न्यूमोनिया का खतरा, शिशुओं के लिए स्तनपान जरूरी**

**रायपुर (आरएनएस)।** बच्चों में कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम व संक्रमित के उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है. 'प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ़ कोविड–19 इन द पेडियाट्रिक ऐज ग्रूप' नाम से जारी इस

एडवाइजरी में संक्रमित बच्चों के देखभाल के विषय में विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है. एडवाइजरी में कहा गया है कि अभी तक कोविड संक्रमण का बहुत कम प्रभाव बच्चों पर देखा गया है. हालांकि, बच्चों में संकमण के बहुत हल्के लक्षण देखे गये हैं10त्न ह्यद्न 20त्न बिना लक्षण वाले बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है. एक से 3 प्रतिशत कोविड लक्षण वाले बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं ,जिन्हें इंटेसिव केयर में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है.

**संक्रमित होने के बावजूद नहीं दिख पाते लक्षण:-** बच्चों में कोविड संक्रमण अधिकतर माइल्ड यानि हल्के या एसिम्टोमेटिक होते हैं. एस्मिटोमेटिक मामले में बच्चे संक्रमित तो होते हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखते हैं. जबकि माइल्ड केस में कुछ सामान्य लक्षण नजर आते हैं. कोरोना संक्रमण के सामान्य लक्षणों में बुखार, कफ सांस लेने में समस्या, थकान, गले में खराश, डायरिया, सुगंध और स्वाद नहीं मिलना, मांसपेशियों में दर्द व नाक बहना आदि शामिल हैं. कुछ बच्चों में पाचन संबंधी समस्या आदि भी मिलते हैं. बच्चों में इन लक्षणों के अलावा एक नये लक्षण देखने को मिले हैं जिसे मल्टी सिस्टम इंफ्लामेट्री सिंडोम कहते हैं. इनमें लंबे समय तक लगातार 100 डिग्री बुखार रहता है.

**कोविड–19 संक्रमित बच्चों का उपचार प्रबंधन:-** एडवाइजरी में कोविड 19 संक्रमित बच्चों के उपचार प्रबंधन के विषय में बताया गया है कि परिवार में किसी सदस्य के कोरोना संक्रमित होने के बाद बच्चों के स्क्रीनिंग कराये जाने पर उनमें संक्रमण की पुष्टि की जाती है. ऐसे बच्चों में लक्षणों के विकसित होने पर खास नजर रखी जाती है तथा संक्रमण की गंभीरता के आधार पर उपचार किया जाता है.

## बरसात से पहले खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन निराकरण के मुख्यमंत्री के निर्देश

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ विपणन संघ द्वारा खरीफविपणन वर्ष 2020-21 में प्राप्त उपार्जन धान के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बरसात के पहले खरीफ वर्ष 2020-21 में उपार्जन धान के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है।महाप्रबंधक(विपणन) से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपार्जन धान के निराकरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हेतु 23.95 लाख मीट्रिक टन चावल तथा भारतीय खाद्य निगम में जमा हेतु 24 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे कुल 71.21 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण होगा, जिसके विरूद्ध 54.15 लाख मीट्रिक टन का निराकरण मिलरों के माध्यम से किया जा चुका है। मिलिंग की कार्यवाही सतत प्रक्रियाधीन है। राज्य शासन द्वारा पुनः 6.75 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आबंटन दिया गया है। अतिशेष धान की नीलामी की कार्यवाही भी की जा रही हैं। नीलामी के लिए 6 मई 2021 तक की समय सारणी जारी कर दी गई है।

# नवविवाहिता ने कर ली शादी के दूसरे दिन ही आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

**बालोद (आरएनएस)।** बालोद जिले के दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने विवाह के दूसरे दिन ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 12 में युवती की शादी हुई थी। बहरहाल, दल्लीराजहरा पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि युवती ने देर रात फ ांसी लगाकर खुदखुशी कर ली। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल

गई है। नवविवाहिता ने आख़िर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। यह अभी जांच का विषय बना हुआ है? जानकारी के मुताबिक, दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 12 निवासी महेश निषाद के पुत्र अनिल निषाद का की विवाह ग्राम लोण्डी के युवती उमेश्वरी निषाद से 28 अप्रैल को सामाजिक रीतिरिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ था।

उसके बाद दुल्हन के घर मे भी दूसरे दिन रिसेप्शन आयोजित की गई थी। इसके बाद पूरा परिवार नई बहू लाने की खुशियां मना ही रहे थे। और दूल्हा महेश अपनी विवाह के बाद गृहस्थ जीवन के सपने सजा रहा था। उसकी सारी खुशियां चंद घंटे में मातम में बदल गई। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवती के घर वाले चौथिया लेकर आए हुए थे। लेकिन, पता नहीं किन कारणों से उसने आत्महत्या की है। बहरहाल, दोनो पक्षों से बयान दर्ज करने के बाद यदि किसी प्रकार से युवती को प्रताड़ित करना पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृतका के शव के पास किसी प्रकार कोई सोसाइडल नोट नहीं मिला हैं। इस पूरे प्रकरण में मर्ग कायम करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता**

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु**

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

**पीड़ित संपर्क करें**

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जन जातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक गतिविधियों को तेज करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

# सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में मिले सर्वोच्च प्राथमिकता - भूपेश

**» केवल ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से इस वर्ग के टीकाकरण से वंचित होने की संभावना**

**» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की मांग**

**रायपुर ।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में

उल्लेख किया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 28 अप्रैल 2021 से कोविन पोर्टल पर कोविड के विरुद्ध वैक्सिनेशन हेतु इच्छुक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है। हालाँकि यह जानकारी पोर्टल पर राज्यवार उपलब्ध नहीं है पर प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक देश भर में इस आयु वर्ग के लगभग 1.7 करोड़ नागरिकों द्वारा कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस आयु वर्ग के टीकाकरण हेतु वैक्सीन डोसेज़ का क्रय राज्यों द्वारा ही किया जाना है। इसी तारतम्य में राज्य द्वारा वैक्सीन के दोनो उत्पादकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25-25 लाख डोसेज़ हेतु माँग प्रेषित की गयी। इनमें से एक उत्पादक (भारत बायोटेक) का ही उत्तर प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार वांछित मात्रा में से मात्र तीन लाख डोसेज़ मई माह में राज्य को प्राप्त हो पाएँगी। ऐसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होने से और उस अनुपात में वैक्सीन डोज़ उपलब्ध न होने से टीकाकरण हेतु बनी सेशन साइट्स पर भीड़ प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन की कमी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा टीकाकरण हेतु इस आयु वर्ग में प्राथमिकता का कोई क्रम निर्धारित होना चाहिए और इस क्रम में सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।वर्तमान में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध होने से भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की टीकाकरण से वंचित रहने की संभावना बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र के अंत मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया है कि पूर्व की भांति 18- 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध हो ताकि टीकाकरण से कोई भी वंचित न रह पाए।